


ए.11018 / 38 / 2016—एम.एच.2 / एन.सी.डी.—1

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एनसीडी—1

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 16 अगस्त, 2021
जन—सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017 / 61 / 2008 स्था. (आर आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में एक्स—रे तकनीशियन पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जन—सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव अवर सचिव (एन.सी.डी.—I.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली 110108 को लिखित रूप में या इस ई—मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते हैं।


(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नंत्र 011—2306 2666

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख:

2021

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, बम्बई (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1986 को, जहां तक उनका संबंध एकस-रे तकनीशियन के पद से है, उन वातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में एकस-रे तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, एकस-रे तकनीशियन (समूह 'ख' पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2021 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य वातों वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निर्हता- वह व्यक्ति-**

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई वात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए आयु- सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
एकम-से तकनीशियन	1* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	माध्यागण केंद्रीय सेवा, गमूह 'ब'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदृश्यों या आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु- सीमा विभागीय अधिकारियों की दशा में चालीस वर्ष तक शिखित की जा सकती है।) टिप्पणि 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अधिकारियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लदाख संघ गाज़िय़बाद, दिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला और चम वा जिला का पांगी उपर्युक्त, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के अधि- कारियों के लिए विहित की गई है। टिप्पणि 2: रोजगार कार्यालय के अधि- कारियों के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय की नामीं को प्रनन्त करने के लिए कहा जाए।	शैक्षिक अहताएं: 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से हायर सेकंडरी स्कूल परीक्षा या समकक्ष अहताएं। 2. रेडियोलॉजी में डिप्लोमा (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) के साथ 50 विस्तर वाले अस्पताल में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पणि 1: अहताएं, अन्यथा सुअहित अधि- कारियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखवद्ध किए जाएंगे, शिखित की जा सकती हैं। टिप्पणि 2: अनुभव संबंधी अहताएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखवद्ध किए जाएंगे, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की दशा में नव शिखित की जा सकती हैं, जब चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग की यह गय हो कि उनके लिए आवश्यक शिक्षियों को भरने के लिए आवश्यक अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अधिकारियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और रैशिक अवृत्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए): 1. अपर निदेशक, अधिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई - अध्यक्ष; 2. उपनिदेशक (पुनर्वास), अधिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई - सदस्य; 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन घेड), अधिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई - सदस्य; 4. संबंधित विभागाध्यक्ष, अधिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(ए.11018/38/2016-एमएच-II)

अवर सचिव, भारत सरकार